बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि १३ दिसम्बर, १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीपनारायण सिंह—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के षष्टम् सत्र के १५१ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा के मेज पर रखता हूं। शेष लंबित प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराए जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्यों के नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री रामानन्द तिवारी	४, २८६, ७२६, १०३४, ११०४, १२३१।
२	श्री कर्पूरी ठाकुर	१५, ५६, ३६०, १३५४।
३	श्री रामानन्द सिंह	७४, ३४१, ७५५।
४	श्री एस० के० बागे	१२१, २४७, ६९५, १०३०, १२५२, १२६८, १७३७।
५	श्रीमती बनारसी देवी	११०, १२१७, १३३६।

साहाय्य समिति के गठन का आधार।

१११४। श्री सभापति सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी और अखता साम्प्रदायिक दंगे के समय वहां के बर्बाद हुए लोगों को सरकारी मदद देने के लिये सहायता समिति का गठन हुआ था, यदि हां, तो उस समिति के कौन-कौन लोग सदस्य थे और सदस्य मनोनीत करने का आधार क्या था?

डा० श्रीकृष्ण सिंह—मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी और अखता साम्प्रदायिक दंगे के समय वहां के बर्बाद हुये लोगों को सरकारी मदद देने के लिये किसी सहायता समिति का गठन नहीं हुआ था। अलबत्ता, कुछ गैर-सरकारी संस्थायें स्वेच्छा से वहां सहायता कार्य करने लगी थीं और यह ध्यान रखा गया था कि सरकारी सूत्र से दी गई सहायता एवं अन्यान्य सूत्रों से दी गयी सहायता में परस्पर विरोधाभास नहीं रहे। यह भी ध्यान रखा गया था कि दोनों के प्रयत्नों का उचित उपयोग हो जिसमें शक्ति एवं धन का अपव्यय नहीं हो। ऐसा करने के लिये सरकारी एवं गैर-सरकारी सूत्रों में अक्सर विचार-विनिमय की आवश्यकता आ पड़ती थी।

आदापुर में भी रीगा मिल के काँटे का औचित्य।

१११९। श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिले में चम्पारण की सीमा पर स्थित रीगा मिल ने सन् १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में घोड़ासहन, कुड़वा, चैनपुर, वैरगनिया तथा ढेंग क्षेत्र का जो रीगा मिल का अपना रिजर्व है गन्ना लेने में असमर्थ हुआ तो सरकार ने उक्त क्षेत्र का गन्ना हरीनगर, नरकटियागंज तथा मझौलिया (सभी चम्पारण) मिलों को दिलवाया;

(२) क्या यह बात सही है कि गत साल १९५८-५९ में वह रीगा मिल बगही, तिकौनी, भवानीपुर, बेसाखवा, पुरैनिया तथा बहेलिया गांवों का आदापुर थाना, चम्पारण का गन्ना अपने तीन मील के कांटा छोड़दानों पर केन नहीं ले सका तो उक्त गांव के लोगों ने ७ मील दूर हरीनगर नरकटियागंज मिलों के कांटा आदापुर में गिराया;

(३) क्या यह बात सही है कि आदापुर में भी सरकार रीगा मिल के कांटा देने जा रही है, यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है?

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—(१) यह बात सही है कि १९५५-५६ में इन क्षेत्रों का गन्ना नरकटियागंज मिल ने खरीदा और १९५६-५७ में मझौलिया मिल द्वारा खरीदा गया। पर इन अवधियों में प्रथम दो गांव इएसान्ड एरिया में थे और बाकी दो गांव रिजर्व एरिया में थे। ये सभी गांव १९५७-५८ में रिजर्व कर दिये गये परन्तु उस वर्ष में इन क्षेत्रों का गन्ना स्वयं रीगा मिल ही ने खरीदा।